



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263072  
CG-DL-E-13052025-263072

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947

No. 264]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

सा.का.नि. 307(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 06 अगस्त, 2024 की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 481 (ड) में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा श्री वेंकटेसपति एस., संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक कोचीन पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-पार्ट(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**  
**(PHRD Division)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2025

**G.S.R. 307(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 (e) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 481 (E) dated 06<sup>th</sup> August, 2024, the Central Government hereby appoints Shri Venkatesapathy S., Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, as an Ex- officio Member of the Board of Cochin Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.